320

संख्या– —— /XXXVI(1)/2015-563 / 2001-T.C

प्रेषक,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, नैनीताल।

०५- अप्रैल
देहरादूनः दिनांक ~~मार्च~~, 2015

न्याय अनुभाग–1

विषय– उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप–1–एक(10)छत्तीस(1)/न्याय अनु0/2004 दिनांक 26–10–2004 तथा शासनादेश सं0–1–एक(10)छत्तीस(1)/न्याय अनु0/2005–563/2001 दिनांक 31–10–2005 द्वारा उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल हेतु सृजित 05 एंव 45 अस्थायी पदों के अनुक्रम में शासनादेश संख्या–47/XXXVI(1)एक/2012–563/2001 दिनांक 02–03–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के लिये अस्थायी रूप से सृजित सभी पदों की निरन्तरता वर्ष 2014–15 में दिनांक 01–03–2014 से 28–02–2015 तक की समयोपरान्त स्वीकृति एवं **आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिनांक 01–03–2015 से 29–02–2016 तक की निरन्तरता**, वर्तमान शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पर होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–09–उत्तराखण्ड न्यायिक एंव विधिक अकादमी–00'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–262 ND/ XXXVII (5)2014दिनांक 04–03–2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(के0डी0भट्ट)
प्रमुख सचिव

संख्या– 951(1)XXXVI(1)/2015-563 /2001 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,(लेखा एंव हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

D:\Bhagwan folder\other file\Vividh letter2014.doc